

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्न प्राध्यापक (रकूल शिक्षा) गृह विज्ञान के रथानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित रथान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक (सर्वश्री/श्रीमती)	कहाँ से (राजमावि)	जिला	कहाँ को (राजमावि)	जिला
1	POONAM	UNDER TRANSFER FROM GOVT GIRLS SEN.SEC. SCH.BRAHAMPURI (KANWAR NAGAR) JAIPUR TO GG SSS TIBBI HANUMANGARH	HANUMANGARH	GOVT GIRLS SEN.SEC. SCH.BRAHAMPURI (KANWAR NAGAR) JAIPUR,WARD NO.84 JAIPUR CITY	JAIPUR

उक्त कार्मिक नवीन पदरथापन रथान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परीवीक्षकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदरथापन रथानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपरिधि/ निलम्बित/कोर्ट रथगन कार्मिकों को उक्त रथानान्तरण/पदरथापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावें। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावें। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की रिस्ति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक-रकूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।

(नथमल डिडेल)
आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

मामांक-शिविरा / मा/संरथा/सी-4/रजीगृ/गृहविज्ञान/रथानान्तरण/2019 . दिनांक- 29/09/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री(सचिवत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-रकूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- 5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति देवें।
- 6 सम्बन्धित शाला/संरथा प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।
- 7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण की प्रभावी मोनिटरिंग करें।
- 8 रिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु
- 9 सम्बन्धित कार्मिक
- 10 राष्ट्रीय पत्राकाली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर